न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत**, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 135 / 2024

प्रार्थी :–

लक्ष्मण राम पुत्र हरजी राम जाति खारडिया (सीरवी) आगलेचा, निवासी बालिका स्कूल के पास ग्राम भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :–** 17/12/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास, पटवार हल्का भावी सीरवीबास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थी की खातेदारीसुदा, कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1548 रकबा 1.8607 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है। जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 984 पर प्रार्थी के नाम दर्ज है। सबूत के तौर पर जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध मे खातेदार का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज करते समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी का नाम लक्ष्मण राम पुत्र हरजीराम के स्थान पर लिछमणराम पुत्र हरजीराम दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम लक्ष्मण राम पुत्र हरजी राम है। जिसके सबूत प्रार्थी के आधारकार्ड, प्रार्थी के वर्ष 1995 के मतदाता पहचान पत्र, प्रार्थी के वर्ष 2008 में नया जारी मतदाता पहचान पत्र, प्रार्थी के वाहन मोटर साईकल की आर.सी., प्रार्थी के ड्राईविंग लाईसेन्स, प्रार्थी के पैनकार्ड, प्रार्थी के यूको बैंक शाखा भावी के बैंक पासबुक, भावी एस.पी. गैस की डायरी, प्रार्थी के नाम से जारी परिवार राशनकार्ड की प्रतियों साथ संलग्न पेश है। जिसमें प्रार्थी का सही नाम लक्ष्मण राम पुत्र हरजी राम दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में लक्ष्मण राम पुत्र हरजी राम के स्थान पर लिछमणराम पुत्र हरजीराम दर्ज करते समय हल्का पटवारी द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेजों की जाँच नहीं की गयी व न ही प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान किया गया। इसलिए प्रार्थी को अपना गलत नाम लिछमण राम पुत्र हरजी राम के स्थान पर सही नाम लक्ष्मण राम पुत्र हरजी राम दर्ज करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

करना पड़ रहा है। प्रार्थी को अपनी भूमि पर सुधार कार्य व अपनी घरेलु आवश्यकता हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से ऋण प्राप्ति हेतु वर्तमान जमाबन्दी की प्रतिलिपि लेने हेतु हल्का पटवारी के पास गया तथा हल्कां पटवारी से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की तो प्रार्थी को जानकारी में आया कि प्रार्थी का नाम लक्ष्मण राम पुत्र हरजी राम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में लिछमणराम पुत्र हरजीराम दर्ज है जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी को राजस्व रेकर्ड व अपने सरकारी दस्तावेजों की फोटो प्रतियों दी उपरोक्तानुसार नाम शुद्ध करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को यह कहते हुए नाम शुद्ध करने से मना कर दिया कि इस हेतु माननीय न्यायालय सक्षम है। प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में उक्त गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई ऋण वगैरा नहीं ले सकता है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम लिछमणराम पुत्र हरजीराम के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम लक्ष्मण राम पुत्र हरजी राम दर्ज किये जाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम लिछमणराम पुत्र हरजीराम के स्थान पर प्रार्थी के सरकारी दस्तावेज अनुसार उसका सही नाम लक्ष्मण राम पुत्र हरजी राम दर्ज किये जाने का आदेश अप्रार्थी को जारी फरमाया जावे। इति

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम भावी एस.बी. के खसरा नंबर 1548 रकबा 1.8607 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है। जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में लक्ष्मणराम के स्थान पर लिछमणराम दर्ज हो गया। जो आज दिन तक चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत सरकारी/निजी दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, पेनकार्ड इत्यादि में नाम लक्ष्मणराम दर्ज है। लक्ष्मणराम व लिछमणराम दोनों एक ही व्यक्ति है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम भावी एस.बी. की वर्तमान जमाबंदी चौसाला संवत 2076 से 2079 के खाता सं. 984 में प्रार्थी का गलत नाम लिछमणराम पुत्र हरजीराम के स्थान पर सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम लक्ष्मणराम पुत्र हरजीराम की दुरूस्ती किया जाना उचित है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खसरा नं. 1548 रकबा 1.8607 में प्रार्थी का लिछमणराम पुत्र हरजीराम के नाम से खातेदारी में दर्ज है। ऑनलाईन जमाबंदी चौसाला 2076 से 2079 तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश प्रार्थी का नाम लक्ष्मणराम पुत्र हरजीराम के स्थान पर गलत नाम लिछमणराम पुत्र हरजीराम दर्ज कर दी गई। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाडा के खसरा नम्बर 1548 रकबा 1.8607 हेक्टयर में जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में दुरूस्ती की जाकर रेकर्डेड खातेदार प्रार्थी का नाम लिछमणराम पुत्र हरजीराम के स्थान पर लक्ष्मणराम पुत्र हरजीराम किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाडा को प्रदान किया जाता है। पत्रावली फैसललशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 17/12/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा